

प्रोक्षण निषेद्धारी / जन सूचना अधिकारी

राष्ट्रीय राहरा बहुवा, भैरवनाथ कानून

लिखन सूचना का विषयालय विधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त
करने के लिए है।

उल्लेख

लिखन है कि प्रार्थी राजीव दूखे सूत श्री कवाने वन्द्र दूखे ग्राम
गौपीनाथ पुर का स्थायी प्रबन्धी है जो की संस्था ने 200-07-02 । 220
से 400 वर्ष के अन्तराल में विविध कारकों द्वारा ग्राम
के तीक्ष्ण में प्रार्थी को जन सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत सूचना
दिलाए जाने की शुरू की है।

- १- आपको जनस्थान में विविध विविध सूत सुखाई या बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा
दानिल इसके नीकरी प्राप्त करने के संकेत में संबंधित जांच कीष्ठिकारी
द्वारा किस तिथि को जनसूचना विधिनियम के अन्तराल से दूखे है ?
- २- उपर्युक्त प्रश्न के बायक घनान्त वाले लक्ष चलतों एवं तो का गाँधी को कौन
सभव सीमा निर्धारित की गयी है ?
- ३- जन सूचना अधिकारी श्री राजीव शुक्ल वी.सी.एस. अधिकारी था थाई.ए.एस.
द्वारा किस तिथि के अधिकारी है ?
- ४- जन सूचना अधिकारी श्री राजीव शुक्ल को कोनों द्वारा फेंगा है ?

संलग्नक

सूचना प्राप्ति के दूरी 10 किमी का मूल
पौर्स १० थाई एक्स्ट्रेंज सं०- ३ एफ 722620
रेखांकित एवं दिनांकित

प्रार्थी
(Rajeev Shukla)
21/05/115

राजीव दूखे सूत श्री कवाने वन्द्र दूखे

ग्राम- गौपीनाथपुर,
पौ. जा. बहुवा उत्तर रो

जिला अलीगढ़ कानून

दिन 21.5.2015

लिखन १० अप्रृष्ट
संस्कृति की ओर

कृति



RTIMATTER/SPEED POST

रा. 25(52)/2015/RTI/9

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर

ISO संस्थान प्रमाणित 2008-9001

उपभोक्ता मामले निकालय वितरण सार्वजनिक एवं खाद्य,

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

भारत सरकार

फोन: 0512-2570542, 543

दि. 05.06.2015

फैक्स: 0512-2570217

ई-मेल: nsikanpur@nic.in

सेवा में,

श्री राजीव द्वेरा सुन श्री ध्यानचंद द्वेरा,

नि. ग्राम-गोपीनाथपुर,

पो.आ.-बरुआ उत्तरी,

जनपद-सुल्तानपुर (उ.प्र.)

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र दि. 21.05.2015 के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना किम्नानुसार है-

बिंदु सं. 1 के संदर्भ में सूचित करना है कि मांगी गई जानकारी की दिशा में जांच चल रही है तथा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। अधिनियम के तहत जनसूचना अधिकारी अपने निर्णय को नियमों के अंतर्गत सूचित करता है लेकिन आपके द्वारा चाहे गये मुद्दों पर जानकारी दूसरी जांच एजेंसियों रो प्राप्त होने वाली आख्याओं पर निर्भर होगी। अतः मांगी गई सूचना आज की तिथि में अनुपलब्ध मानी जाय। चूंकि जांच दूसरी जांच एजेंसियों से प्राप्त होने वाली जानकारी पर आधारित होगी इसलिए आज की तिथि में कोई भी समय-सीमा उपलब्ध नहीं है। जांच की विषय वस्तु पर सूचना देने का निर्णय जांच पूरी होने के उपरात ही लिया जा पायेगा।

बिंदु सं. 2 के संदर्भ में यह सूचित करना है कि जांच कर रहे सक्षम अधिकारी का यह कर्तव्य नहीं होता कि ऐसी जानकारी प्राप्त करे, जिससे कि निष्कर्ष एवं अनुमान निकालने की धारणा बनाने की अथवा सूचना की विवेचना करने की अथवा आवेदक द्वारा स्थगित समस्याओं का समाधान करने की अथवा कानूनिक प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता होगी।

बिंदु सं. 3 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी केंद्रीय सेवा समूह 'क' में राजपत्रित अधिकारी है।

बिंदु सं. 4 के संदर्भ में सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी की शैक्षणिक योग्यता एम.ए., एल.एल.बी. है एवं संस्थान में आने की तिथि 31.12.2014 है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि अधोहस्ताक्षरी के निवास का पता उनकी व्यक्तिगत जानकारी है।

अत उपरोक्त सूचना जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 8(1),(ई),(एच) तथा (जे) के तहत देने की बाध्यता नहीं है।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप दी गई उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र को जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी को निम्न पते पर अपील कर सकते हैं-

श्री नरेन्द्र मोहन,

निदेशक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, भारत सरकार,

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, कानपुर - 208017

भृतदीय,

(राक्षश शुक्ला)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं
केंद्रीय जनसूचना अधिकारी